न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-253RAAJodhpur2022-48RTA223 Meghasingh Vs Padmaram etc

01. मेघसिंह पुत्र उदयसिंह, जाति राजपूत, निवासी- ग्राम आमला, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. पदमाराम पुत्र सिदाराम
2. खिंयाराम पुत्र सिदाराम
3. लाखाराम पुत्र हरजीराम के कायम मुकामः -
   3.1. खेताराम पुत्र स्व. लाखाराम
   3.2. माणकराम पुत्र स. लाखाराम
4. स्वरूपाराम पुत्र हरजीराम के कायम मुकामः -
   4.1. आईदानराम पुत्र स्वरूपाराम
   4.2. गोरखाराम पुत्र स्वरूपाराम
   4.3. चैनाराम पुत्र स्वरूपाराम
   4.4. मोहनराम पुत्र स्वरूपाराम
5. नेमाराम पुत्र सिदाराम के कायम मुकामः -
   5.1. सोनाराम पुत्र नेमाराम
   5.2. फगलुराम पुत्र नेमाराम
6. मुकनाराम पुत्र सिदाराम के कायम मुकामः -
   6.1. रामुराम पुत्र मुकनाराम
   6.2. मगी पत्नी मुकनाराम
7. धनाराम पुत्र अलसाराम
8. चुतराराम पुत्र अलसाराम
9. राजुराम पुत्र अलसाराम
10. बालू पत्नी लिक्ष्मणराम
11. भोमाराम पुत्र लिक्ष्मणराम

    सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
12. इलमदीन पुत्र कादरखॉ जाति मुसलमान, निवासी- ग्राम आउ, तहसील आउ, जिला जोधपुर।

14-2-24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

13. शाखा प्रबंधक ऑरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स वर्तमान पंजाब नेशनल बैंक, खीचन, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
14. शाखा प्रबंधक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड फलोदी, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
15. शाखा प्रबंधक, यूको बैंक लोहावट, तहसील लोहावट
16. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक फलोदी, तहसील फलोदी।
17. शाखा प्रबंधक आरएमजीबी शाखा छीला, तहसील लोहावट।
18. शाखा प्रबंधक यूको बैंक शाखा फलोदी, जिला जोधपुर।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 सितंबर 1986 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 495/1986 लाखाराम जाट व अन्य बनाम मगनाराम जाट इत्यादि

उपस्थित-

श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री राजेन्द्र जाखड़, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या 1 से 4/4
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 19

नि र्ण य

दिनांक : 14 फरवरी 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 495/1986 लाखाराम जाट व अन्य बनाम मगनाराम जाट इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 सितंबर 1986 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 29 मार्च 2022 को प्रस्तुत की है।

14.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार संहिता पेश कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं विभाजन का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 432 रकबा 176.3 बीघा ग्राम आमला के संबंध में अपीलांट के पिता को पक्षकार संयोजित किये बिना विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13 सितंबर 1986 को वादी/रेस्पो. का वाद स्वीकार कर निर्णय एवं जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

सर्वप्रथम उभय पक्ष के अधिवक्तागण की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी बाबत अपील पेश करने की अनुमति/स्वीकृति प्रदान करने पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के पूर्वज वक्त सेटलमेंट वादग्रस्त आराजी के जागीरदार एवं खातेदार दर्ज होने से वादग्रस्त आराजी अपीलांट व उनके पूर्वजों की खातेदारी की भूमि रहीं है। रेस्पोडेंट्स ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में अपीलांट्स के पूर्वज चाचा को पक्षकार संयोजित किये बिना आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित करवायी है। अपीलांट के चाचा सुमेरसिंह द्वारा अपने नाम दर्ज संपूर्ण भूमि की वसीयत अपीलांट के नाम की है। ऐसी स्थिति में अपीलांट प्रकरण में हितबद्ध, आवश्यक एवं प्रभावित पक्षकार होने से वह अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी ठहरता है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी बाबत

14.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील पेश करने की अनुमति/स्वीकृति प्रदान करने स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

प्रत्युतर में वकील रेस्पो. ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट से रेस्पो. की खातेदारी की भूमि रहीं है। वादग्रस्त आराजी के तत्कालीन खातेदार एवं उनके भाईयों द्वारा प्रस्तुत आपसी राजीनामा के आधार पर विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वसीयत में वादग्रस्त खसरा का अंकन नहीं है। अतः अपीलांट मामले में हितबद्ध, प्रभावित एवं आवश्यक पक्षकार नहीं पाये जाने से अपील अपीलांट अनुमति बाधित होने से खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वक्त वाद प्रस्तुति वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 432 रकबा 176.3 बीघा खातेदार मगनाराम पुत्र हरजीराम कौम जाट, सा. शैतानसिंह नगर के नाम दर्ज रही है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वसीयत दिनांक 06.06.2016 में वादग्रस्त खसरा नं. 432 का उल्लेख होना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों की पुष्टि उपलब्ध अभिलेख से नहीं होने से उसके हितों पर किसी प्रकार का कोई कुठाराघात नहीं होना पाया जाता है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होने से उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी बाबत अपील पेश करने की अनुमति/स्वीकृति प्रदान

14.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

करने स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार अपील अपीलांट अनुमति-बाधित होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 495/1986 लाखाराम जाट व अन्य बनाम मगनाराम जाट इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 सितंबर 1986 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.2.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-253RAAJodhpur2022-48RTA223 Meghasingh Vs Padmaram etc

अपीलाण्ट

मेघसिंह पुत्र उदयसिंह, जाति राजपूत, निवासी- ग्राम आमला, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

ब ना म

रेस्पोडेण्ट

1. पदमाराम पुत्र सिदाराम
2. खिंयाराम पुत्र सिदाराम
3. लाखाराम पुत्र हरजीराम के कायम मुकामः -
   - 3.1. खेताराम पुत्र स्व. लाखाराम
   - 3.2. माणकराम पुत्र स्व. लाखाराम
4. स्वरूपाराम पुत्र हरजीराम के कायम मुकामः -
   - 4.1. आईदानराम पुत्र स्वरूपाराम
   - 4.2. गोरखाराम पुत्र स्वरूपाराम
   - 4.3. चैनाराम पुत्र स्वरूपाराम
   - 4.4. मोहनराम पुत्र स्वरूपाराम
5. नेमाराम पुत्र सिदाराम के कायम मुकामः -
   - 5.1. सोनाराम पुत्र नेमाराम
   - 5.2. फगलुराम पुत्र नेमाराम
6. मुकनाराम पुत्र सिदाराम के कायम मुकामः -
   - 6.1. रामुराम पुत्र मुकनाराम
   - 6.2. मगी पत्नी मुकनाराम
7. धनाराम पुत्र अलसाराम
8. चुतराराम पुत्र अलसाराम
9. राजुराम पुत्र अलसाराम
10. बालू पत्नी लिक्ष्मणराम

14.2.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

11. भोमाराम पुत्र लिक्ष्मणराम सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम शैतानसिंह नगर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
12. इलमदीन पुत्र कादरखॉ जाति मुसलमान, निवासी- ग्राम आउ, तहसील आउ, जिला जोधपुर।
13. शाखा प्रबंधक ऑरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स वर्तमान पंजाब नेशनल बैंक, खीचन, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
14. शाखा प्रबंधक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड फलोदी, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
15. शाखा प्रबंधक, यूको बैंक लोहावट, तहसील लोहावट
16. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक फलोदी, तहसील फलोदी।
17. शाखा प्रबंधक आरएमजीबी शाखा छीला, तहसील लोहावट।
18. शाखा प्रबंधक यूको बैंक शाखा फलोदी, जिला जोधपुर।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 सितंबर 1986 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 495/1986 लाखाराम जाट व अन्य बनाम मगनाराम जाट इत्यादि

14.2.25
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 14 फरवरी 2024 बहाजरी अधिवक्ता श्री नाहरसिंह सोलंकी मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री राजेन्द्र जाखड़ अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ किप्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी बाबत अपील पेश करने की अनुमति/स्वीकृति प्रदान करने स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार अपील अपीलांट अनुमति-बाधित होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 495/1986 लाखाराम जाट व अन्य बनाम मगनाराम जाट इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 सितंबर 1986 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 14 फरवरी 2024 को जारी किया गया।

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील	/	1. स्टाम्प वकालातनामा	/
2. स्टाम्प वकालतनामा		2. स्टाम्प अर्जी	
3. इजराय हुक्मनामा		3. इजराम हुक्मनामा	
4. वकील फीस बाबत		4. मेहनताना वकील	
मीजान		मीजान	

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर